प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 335/2015

अमर सिंह ..... अपीलार्थी

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ..... प्रत्यर्थी

सहित

आपराधिक अपील संख्या 336/2015

इंद्रजीत सिंह ..... अपीलार्थी

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ..... प्रत्यर्थी

निर्णय

कृष्ण मुरारी, न्यायाधीश

यह दोनों अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2014 को पारित आक्षेपित फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ सज़ा के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर आपराधिक अपील को खारिज करते हुए अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। आरोपियों में से एक-अपीलार्थी - इंद्रजीत सिंह को भी आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया और दोषसिद्ध करार कर दिया गया व 5000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई तथा भुगतान न

किए जाने की स्थिति में 3 महीने के साधारण कारावास की सज़ा दी गई । अभियुक्त-अपीलकर्ता, इंद्रजीत सिंह को भी आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और यह सज़ा भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत उसे पहले से दी गई सज़ा के साथ समवर्ती चलनी थी।

2. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 03.08.1990 को, डीडी संख्या 18-ए की प्राप्ति पर, उप नि. जोगिंदर सिंह के साथ उप नि. ज्ञान सिंह, कांस्टेबल जय सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र पाल सुखदेव मार्केट गली में पहुंचे, जो कुमायूं रेस्तरां की ओर जाती है, जहां मकान नंबर एच-801 के पास भीड़ जमा थी और उन्हें पता चला कि घायल को पीसीआर वाहन में एम्स ले जाया जा चुका है । कांस्टेबल नरेंद्र पाल को घटनास्थल पर छोड़कर, उप नि. जोगिंदर सिंह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ एम्स पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि घायल देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी को 'मृत लाया गया' घोषित किया गया था। मृतक के दो भाई परमिंदर सिंह और अमर सिंह, अस्पताल में मौजूद थे। परमिंदर सिंह ने उप नि. जोगिंदर सिंह को अपना बयान दिया कि उनके छह भाई हैं और उनके तीन भाई-हरिंदर सिंह, रविंदर सिंह और राजिंदर सिंह उनकी मां श्रीमती प्रकाशवती के साथ मकान नंबर 826/5, अर्जुन नगर में रहते हैं। उनके सबसे बड़े भाई अमर सिंह

अपने परिवार के साथ मकान नंबर 15/88, गीता कॉलोनी में रहते हैं और वह अपने परिवार के साथ 53/एफ, डी-12 क्षेत्र, सेक्टर-4, बंगला साहिब मार्ग, नई दिल्ली में रहते हैं। उनकी बहन सरोज अपने परिवार के साथ 98-ए, बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर रहती हैं। लगभग तीन साल पहले, खज़ान सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसके भाई देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी को उसकी हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ हत्या का मामला लंबित था। उसे अदालत से अंतरिम ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और वह अपनी बहन सरोज के साथ ही रहता था। दिनांक 03.08.1990 को देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी अपनी मां के घर आया और उसका एक अन्य भाई अमर सिंह भी वहां पहुंचा और उन्होंने साथ में भोजन किया। रात लगभग 10:00 बजे, परमिंदर सिंह अपने भाइयों देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी और अमर सिंह के साथ अपने-अपने घर जाने के लिए वहां से निकले । वे सुखदेव मार्केट में टैक्सी स्टैंड की ओर पैदल जा रहे थे। वह और अमर सिंह देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी से लगभग दस कदम आगे थे। रात लगभग 10:10 बजे, जब वे सुखदेव मार्केट के कोने के पास पहुँचे, उन्होंने देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी की 'बचाओ-बचाओ' की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि अमर सिंह पुत्र लिखी चंद तथा शिवचरण पुत्र पूरण चंद हॉकी से वार कर रहे थे और इन्दर सिंह पुत्र खज़ान सिंह

देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी पर चाकू से वार कर रहा था | उसका भाई देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी ज़मीन पर गिर गया और इंद्रजीत सिंह ने उस पर चाकू से कई वार किये | जब उन्होंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, तो उपरोक्त तीनों आरोपी व्यक्तियों ने अपने चाकू और हॉकी को लहराया और धमकी दी कि जो भी देविंदर सिंह को बचाने के लिए आएगा, वे उसे भी मार देंगे। इसके बाद वे सभी भीष्म पितामह मार्ग की ओर भागे, उनका भाई देविंदर सिंह बेहोश हो गया। सुजान सिंह पुत्र राम सिंह सहित कई लोग वहां जमा हो गए | कुछ समय बाद, पीसीआर वैन आई और देविंदर सिंह को एम्स ले गई, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया ।

3. इस बयान पर, एक मामला दर्ज किया गया और निरीक्षक रिछपाल सिंह द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान, निरीक्षक ने मौके पर फोटो खिंचवाई, नक्शा मौका तैयार किया, हॉकी के एक टूटे हुए टुकड़े को कब्ज़े में लिया, गंदे सफेद जूते की एक जोड़ी, एक स्टील स्ट्रिप, रक्त का नमूना, खून से सना हुआ ज़मीन का टुकडा व मौके से ज़मीन का टुकडा ज़ब्त किया। निरीक्षक ने अमर सिंह और परमिंदर सिंह के खून से सने कपड़ों को भी ज़ब्त कर लिया, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया, गवाहों के बयान दर्ज किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की । निरीक्षक ने आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और आरोपी इंद्रजीत सिंह उर्फ़ इंदर का इंकशाफी बयान

दर्ज किया, जिसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कराया । निरीक्षक ने आरोपी अमर सिंह और शिव चरण के इंकशाफी बयान भी दर्ज किए, जिन्होंने अपराध में प्रयोग हॉकी बरामद कराई । बरामद सामान को अलग से पुलंदे बनाकर सील कर दिया गया और सीएफएसएल को भेज दिया गया। जांच पूरी होने के बाद, भा.दं.सं. की धारा 302/506/34 के तहत चालान संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया, जिसने इस मामले को सत्र न्यायालय में भेज दिया। सभी आरोपी व्यक्तियों ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी न होने का निवेदन किया और विचारण हेतु दावा पेश किया। अभियुक्त इंद्रजीत सिंह पर अलग से आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

4. अपने मामले को पुष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सभी 27 गवाहों की गवाही कराई थी। दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज करते समय अपराध में फंसाने वाले सभी साक्ष्य आरोपी व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किये गए थे, जिसमें उन्होंने अभियोजन के मामले को पूरी तरह से नकार दिया था।

5. विचारण न्यालालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों के अपराध को स्पष्ट किया है और तदनुसार उन्हें

भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित भा.दं.सं. की धारा 34 के तहत दंडनीय हत्या के लिए दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। उसी से पीड़ित होकर, आरोपी अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी शिवचरण की 12 अप्रैल, 2008 को मृत्यु हो गई और तदनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला यह था कि न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में बल्कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी प्रति भेजने में भी अस्पष्ट देरी हुई थी। देरी के लिए किसी भी आवश्यक और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, अभियोजन का मामला संदेहास्पद था | आगे यह कहा गया कि हालांकि अभियोजन का मामला घटना के कारण कथित रूप से घटना के चश्मदीद गवाह के आधार पर है, फिर भी, अमर सिंह अभि.सा.-11, और अभि.सा.-5 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था और अकेले बचे चश्मदीद गवाह परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 के एकमात्र साक्ष्य पर इस तरह भरोसा करना सुरक्षित नहीं था। आगे यह कहा गया कि परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 का आचरण अत्यधिक अप्राकृतिक है जो घटना के समय मौके पर उसकी उपस्थिति पर संदेह उत्पन्न करता है। इस ओर ध्यान दिलाया गया कि उसके घायल भाई को

डॉक्टर भारद्वाज के क्लीनिक ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जो पास ही में था। अमर सिंह अभि.सा.-11, जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था, ने अपनी गवाही में कहा है कि घटना के समय अंधेरा था और किसी ने भी आरोपी व्यक्तियों को नहीं पहचाना था, जिन्हें झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि एक अन्य चश्मदीद गवाह सुजान सिंह अभि.सा.-5 ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। बचाव पक्ष ने भी मृतक की एमएलसी, प्रदर्श अभि.सा.-17/ए की ओर न्यायालय का ध्यान यह दर्शाने के लिए आकर्षित किया है कि पहले घायल का नाम अज्ञात के रूप में लिखा गया था और उसके बाद देविंदर सिंह का नाम ऊपरलेखन द्वारा लिखा गया है और घायल को लाने वाले के नाम और संबंध को दर्ज करने के लिए बने कॉलम में हेड कांस्टेबल, धरम सिंह पीसीआर का उल्लेख किया गया है और फिर वहां 'भाई' शब्द जोड़ा गया है। यह भी कहा गया कि एकमात्र चश्मदीद गवाह मृतक का करीबी रिश्तेदार है और इस प्रकार उसकी एकमात्र गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है जिसकी पुष्टि नहीं की गई है।

7. आगे यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी इंद्रजीत सिंह के पिता की हत्या कर दी गई थी और मृतक देविंदर सिंह पर हत्या के लिए मुकद्दमा चल रहा था और वह ज़मानत पर बाहर था और चूंकि पीड़ित पर

अपीलकर्ता के पिता की हत्या का आरोप था, इसलिए मृतक पीड़ित के भाइयों का इस मामले में अपीलार्थियों को झूठा फंसाने का स्पष्ट मकसद था।

8. आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उनके कहने पर बाद में बरामदगी को भी इस आधार पर चुनौती दी गई कि बरामदगी के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और पुलिस अधिकारी अलग-अलग संस्करण दे रहे हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जो चाकू बरामद किया गया था, उसकी नोक कुंद थी, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटों का उक्त चाकू के कारण पंहुचाया जाना संभव नहीं था । यहां तक कि, इस चाकू को डॉक्टर से उसकी राय लेने के लिए भी नहीं दिखाया गया था कि उक्त कुंद चाकू से यह चोटें संभव थीं या नहीं। अपीलार्थी के बताने पर हॉकी की बरामदगी को विचारण न्यायालय ने भी नहीं माना है ।

9. हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित निर्णय किसी भी कमी या विकृति से ग्रस्त नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, अतः अपील को खारिज कर दिया।

10. हमने अपीलकर्ताओं के लिए फाज़िल अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य हेतु फाज़िल अधिवक्ता और प्रत्यर्थी के लिए फाज़िल अधिवक्ता को सुना है।

11. श्री दुष्यंत दवे, अपीलकर्ताओं के लिए फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूरी घटना स्वाभाविक रूप से अनुचित प्रतीत होती है। यह भी कहा गया कि अभि.सा.-1 कथित चश्मदीद गवाह का आचरण घटना के समय या उसके तुरंत बाद प्राकृतिक नहीं है और यह आत्मविश्वासवर्धक नहीं है जिससे मौके पर उसकी उपस्थिति बेहद संदिग्ध हो जाती है । अन्य दो चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा उनके प्रति-परीक्षण से कुछ भी नहीं पता लगाया जा सका | आगे कहा गया कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही के आधार पर, जिसका आचरण सामान्य मानवीय व्यवहार से असंगत और अप्राकृतिक था, जिससे घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति बेहद संदिग्ध हो जाती है, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सज़ा अन्य सबूतों से बिना पुष्टि किये अत्यधिक असुरक्षित है ।

12. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, राज्य के लिए उपस्थित फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि दो न्यायालयों ने एक चश्मदीद गवाह की गवाही के आधार पर आरोपी अपीलकर्ताओं के अपराध हेतु समवर्ती निर्णय दर्ज किये हैं, जिसे उन्होंने विश्वसनीय पाया और उसके आधार पर सज़ा के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं पाई | उन्होंने आगे कहा कि एक पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से नहीं छोड़ा जाना चाहिए

तथा उसके प्रासंगिक हिस्सों पर, जो कानून में स्वीकार्य हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन का मामला पूरी तरह से चश्मदीद गवाह की प्रत्यक्ष गवाही द्वारा स्थापित है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा हुई हो, जांच में कुछ कमी के कारण सज़ा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और जांच अधिकारी की विफलता या चूक अभियोजन मामले को संदिग्ध या विश्वास के अयोग्य नहीं ठहरा सकती है |

13. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

14. अभियोजन पक्ष ने अन्य औपचारिक गवाहों के अलावा अपने संस्करण के समर्थन में तीन चश्मदीद गवाहों को पेश किया, अर्थात्, परमिंदर सिंह अभि.सा.-1, अमर सिंह अभि.सा.-11, मृतक के दो भाई और सुजान सिंह अभि.सा.-5 | वहीं अभि.सा.-11 और अभि.सा.-5 पक्षद्रोही हो गए। अभियोजन पक्ष द्वारा अभि.सा.-11 का प्रति-परीक्षण किया गया | उसने आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने भाई को मारते हुए देखने से सीधे-सीधे इनकार कर दिया । उसने पुलिस को यह बताने की बात से भी इनकार किया कि उसने आरोपी अपीलकर्ता इंद्रजीत सिंह को चाकू से वार करते देखा था। उन्होंने पुलिस को यह बताने की बात से भी इनकार किया कि

वह अपने भाई को बचाने के लिए भागा था | उसने यह भी कहा कि वह अंधेरे के कारण दोषियों के चेहरे को नहीं देख पाया था और इस तरह यह नहीं कह सकता कि आरोपी व्यक्ति वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने उसके भाई को मारा

था | इस कथित चश्मदीद गवाह ने विशेष रूप से पुलिस को बताने की बात से इनकार किया कि तीनों आरोपियों ने उसके भाई की हत्या की थी और उसने उनकी पहचान अपराधी के रूप में की थी |

15. इसी तरह, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए अन्य चश्मदीद गवाह अभि.सा.-5 ने हॉकी से लैस दो लड़कों को और एक लड़के को चाकू लिए दूसरे लड़के पर हमला करते हुए देखने की बात से इनकार कर दिया । उसने तीनों आरोपियों की पहचान करने की बात से भी इनकार किया। उसने कहा कि जब वह डॉक्टर भारद्वाज के घर के बाहर से गुजर रहा था, तब वहां 4-5 लोग खड़े थे और उसे उनसे ही यह पता चला कि डॉक्टर भारद्वाज के घर के बाहर व्यक्ति मर गया था। इस चश्मदीद गवाह ने भी घटना को देखने की बात से इनकार कर दिया । अभियोजन पक्ष द्वारा उसका प्रति-परीक्षण किया गया लेकिन उससे कुछ भी नहीं पता चला।

16. इस प्रकार नीचे के दो न्यायालयों द्वारा दर्ज दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों की अपराध सिद्धि चश्मदीद गवाह अभि.सा.-1 की एकमात्र

गवाही पर आधारित है। एक सामान्य नियम के रूप में न्यायालय एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर कार्य कर सकता है बशर्ते कि वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो। किसी गवाह की एकमात्र गवाही पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क है। लेकिन अगर गवाही के बारे में संदेह है तो न्यायालय पुष्टि पर ज़ोर देंगे | संख्या व मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है | परम्परागत सिद्धांत यह है कि साक्ष्य के महत्व को देखा जाना चाहिए न कि उसकी संख्या को | यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 की बुनियाद है| कसौटी यह है कि क्या साक्ष्य में सत्य, अकाट्यता, विश्वसनीयता है तथा यह भरोसेमंद है या अन्यथा | **(देखें सुनील कुमार बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार राज्य)**

17. यह मामला मुख्य रूप से मृतक के भाई परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर टिका है। जैसा कि पहले से ही ऊपर चर्चा की गई है कि सज़ा किसी एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है, लेकिन तभी जब वह पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाए | स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में हम परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 की गवाही और घटना के समय उनके आचरण की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

18. उसकी अपनी गवाही के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को लगभग 10:00 बजे, तीनों भाई (परमिंदर सिंह अभि.सा.-1, अमर सिंह अभि.सा.-11 और मृतक देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी) अपने-अपने घरों के लिए मां के घर से चले । परमिंदर सिंह और अमर सिंह देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी से कुछ कदम आगे चल रहे थे, जब उन्होंने उसे 'बचाओ-बाचाओ' चिल्लाते हुए सुना, जैसे ही वे पीछे मुड़े तो उन्होंने तीन व्यक्तियों को अपने भाई देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी पर हमला करते हुए पाया। आरोपी इंद्रजीत सिंह चाकू से लैस था, जबकि आरोपी अमर सिंह और शिव चरण हॉकी लिए हुए थे। उसने आगे कहा कि वह तीनों आरोपियों को पहले से ही जानता था और जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन तीनों व्यक्तियों ने उन पर हथियार तान दिए और उन्हें मारने की धमकी दी। मारपीट के कारण देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया और उसके बाद आरोपी व्यक्ति वहां से भाग गए। उसने यह भी कहा कि जब वे घायल भाई की देखभाल कर रहे थे, तब पुलिस वैन वहां आ पहुंची जिसमें देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत लाया गया घोषित किया गया। प्रति-परीक्षण के दौरान उसने कहा कि पूरी घटना मुश्किल से पांच मिनट चली और उन्होंने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन घटना के लगभग 15 मिनट बाद पुलिस स्वयं आ गई। उसने प्रति-परीक्षण में यह

भी स्वीकार किया था कि उसने अपनी मां को सूचित नहीं किया, हालांकि वह पास में रह रही थी। उसने यह भी कहा कि वह और उसके भाई अमर सिंह पीसीआर वैन में घायल देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी के साथ अस्पताल गए। उसने यह भी बयान किया कि उसने देविंदर सिंह उर्फ़ लाड़ी की जांच करने वाले डॉक्टर को कहा था कि उसे किस तरह से चोटें आई थीं । उसने यह भी कहा कि देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी के सिर पर हॉकी के वार के कारण चोट लगी थी, हालांकि उसके सिर से खून नहीं निकला था।

19. परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 और अमर सिंह अभि.सा.-11 मृतक के दो भाइयों का अप्राकृतिक आचरण, जो हमने अभिलेख से देखा है कि हालांकि वे घटना के समय उपस्थित होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके भाई को हमले से बचाने के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था । हालांकि अभि.सा.-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह समझाने की कोशिश की है कि जब उन्होंने हस्तक्षेप करने और अपने भाई देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी को बचाने की कोशिश की तो तीनों आरोपी व्यक्तियों ने उन पर अपने हथियार तान दिए और उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने हस्तक्षेप किया तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। यह ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है कि अमर सिंह अभि.सा.-11 ने न तो मुख्य परीक्षा में और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी जिरह में पक्षद्रोही घोषित किए जाने के बाद उनके भाई

देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी को बचाने के लिए स्वयं द्वारा या अभि.सा.-1 परमिंदर सिंह द्वारा किए गए किसी भी प्रयास के बारे में बयान किया है, जब उस पर हमला हुआ था | इसके विपरीत अभि.सा.-11 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि वह अपनी रीढ़ की चोट के कारण भाग नहीं पाया। जिरह में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने पुलिस को कभी नहीं बताया कि जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो अभियुक्त इंद्रजीत सिंह ने चाकू लहराया और अभियुक्त अमर सिंह और शिव चरण ने हॉकी लहराते हुए उन्हें धमकी दी कि जो भी देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी को बचाने के लिए आएगा, मारा जाएगा | उन्होंने जिरह में इस बात से भी इनकार किया कि उनके द्वारा कभी भी पुलिस को कोई बयान दिया गया था कि उन्होंने दोषियों की पहचान की थी या आरोपी इंद्रजीत सिंह ने चाकू से वार किया था और आरोपी अमर सिंह ने हॉकी से वार किए थे और मारपीट के कारण हॉकी का अगला हिस्सा टूट गया था और तीसरे आरोपी शिव चरण ने भी हॉकी से वार किये थे |

20. हमलावर केवल हॉकी और चाकू से लैस थे और किसी भी आग्नेयास्त्र से लैस नहीं थे | यह बहुत ही अप्राकृतिक लगता है कि मौके पर मौजूद दो भाई तीसरे भाई के साथ मारपीट होने पर भी हस्तक्षेप करने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते वह भी केवल इसलिए कि हमलावर उन्हें हॉकी और

चाकू से धमकाएं । प्राकृतिक मानव व्यवहार के विपरीत यह अप्राकृतिक आचरण घटना के समय मौके पर चश्मदीद गवाह की उपस्थिति पर गंभीर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा इस संबंध में अभि.सा.-1 परमिंदर सिंह द्वारा बताए गए तथ्य, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, की पुष्टि अन्य भाई अमर सिंह अभि.सा.-11 द्वारा नहीं की गई है।

21. घटना के ठीक बाद दो भाइयों अभि.सा.-1 और अभि.सा.-11 का अन्य अप्राकृतिक आचरण फिर से मौके पर उनकी उपस्थिति को बेहद संदिग्ध बनाता है। घटना-स्थल के पास ही डॉक्टर भारद्वाज का एक मेडिकल क्लीनिक था और दोनों भाइयों का पहला प्रयास घायल भाई को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए क्लीनिक में ले जाना होना चाहिए था या डॉक्टर भारद्वाज के क्लीनिक से कुछ चिकित्सीय सहायता प्राप्त करना होना चाहिए था। स्वीकृत रूप से परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 के बयान के अनुसार पीसीआर वैन लगभग 15 मिनट बाद पहुँची । इस दौरान घायल भाई को क्लीनिक में ले जाने या कुछ प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर भारद्वाज को बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया | यह पूरी तरह से सामान्य मानव व्यवहार के विरुद्ध है ।

22. इसके अलावा घायल को किसी अन्य अस्पताल ले जाने या यहां तक कि पुलिस को सूचित करने के लिए कोई प्रयास किया जाना अभिकथित

नहीं है । यह बेहद अप्राकृतिक है कि दो सगे भाइयों ने तीसरे भाई की जान बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया यद्यपि वे घटना-स्थल पर मौजूद थे जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था | ऐसा कहा गया है कि पीसीआर वैन कुमायूं होटल के सामने घायल व्यक्ति के बारे में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 15 मिनट के बाद पहुंची थी। अभि.सा.-20 महिला कांस्टेबल रेणु ने अपनी गवाही में कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात वह पीसीआर वैन में तैनात थी जब रात को लगभग 10:27 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने यह सूचित करने के लिए कॉल किया कि एक आदमी कुमायूं होटल, डिफेंस कॉलोनी के पास बेहोश पड़ा है जो डीडी संख्या-493 के रूप में दर्ज के गई | यह एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी, पीसीआर वैन घटना-स्थल पर पहुंची और घायल को एम्स लेकर गई जहां उसे मृत लाया गया घोषित किया गया |

23. अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 और अमर सिंह अभि.सा.-11 दो भाई घायल को पीसीआर वैन में अस्पताल ले गए और उसकी मेडिकल जांच के दौरान मौजूद थे। हालांकि, अतिरिक्त दस्तावेज के खंड-II में दायर एमएलसी प्रदर्श अभि.सा.-17/ए को देखकर यह पता चलता है कि नाम वाले कॉलम में शुरू में अज्ञात लिखा था जिसे

बाद में देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी के रूप में दर्ज किया गया था | इसी तरह शुरू में रिश्तेदार या दोस्त का नाम दर्ज करने के लिए बनाए गए कॉलम में हेड कांस्टेबल 'धरम सिंह' दर्ज किया गया है और दूसरी पंक्ति में 'वी/सी' वी-89 पीसीआर नंबर 1008/पीसीआर' शब्द दर्ज करने के बाद 'और भाई' जोड़ा गया है।

24. यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के इस संस्करण पर गंभीर संदेह को जन्म देता है कि मृतक के दो भाई परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 और अमर सिंह अभि.सा.-11 मौके पर मौजूद थे और पीसीआर वैन में घायल को एम्स ले गए थे | यदि ऐसा होता, तो स्वाभाविक रूप से, उन्होंने मृतक का नाम और उनके स्वयं के नाम दिए होते जो पहले-पहल एमएलसी प्रदर्श अभि.सा.-17/ए में दर्ज किए गए होते। डॉक्टर रोमेश लाल अभि.सा.-17/ए जिन्होंने एमएलसी तैयार की थी, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि हेड कांस्टेबल धरम सिंह द्वारा एम्स के आपातकालीन कक्ष में एक शव लाया गया था, जिसके पूरे शरीर पर तेजधार हथियार से लगी कई गहरी चोटें थीं और उन्होंने एमएलसी अभि.सा.-17/ए तैयार की थी ।

25. यहां विचार किए गए तथ्य घटना-स्थल के स्थान पर चश्मदीद गवाह की उपस्थिति को अत्यधिक संदिग्ध और असम्भाव्य बनाते हैं। चूंकि अभि.सा.-1 परमिंदर सिंह के आचरण में गंभीर संदेहास्पद पहलू हैं और

उनका आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है, इसलिए पुष्टि के बिना उनकी गवाही को स्वीकारना सुरक्षित नहीं होगा, विशेष रूप से तब जब दो अन्य चश्मदीद गवाह, जिनमें से एक मृतक का सगा भाई है, पक्षद्रोही हो गए हैं |

26. इसके अलावा, चश्मदीदों की गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच महत्वपूर्ण विसंगति है। मृतक देविंदर सिंह उर्फ़ लाडी के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर एम.एस. सागर अभि.सा.-21 द्वारा किया गया था। बाह्य परीक्षण में मृत्यु से पूर्व लगी निम्नलिखित चोटों पर ध्यान गया -

1. दोनों बाजुओं के अगले हिस्सों पर व दोनों बाज़ुओं व दोनों हाथों के पिछले हिस्से पर कई गुम चोटें व रगड़ लगने से आई चोटें |
2. कान के पास 3 सेमी x 2 सेमी x 0.5 सेमी आकार का सी.एल.डब्ल्यू.|
3. दाईं ओर खोपड़ी के पास 3.6 सेमी. x 3 सेमी. आकार की गर्दन तक फ़ैली गुम चोटें |
4. माथे के दाईं ओर 1 सेमी नीचे 1.5 x 1 सेमी की बारीक रेखा के समान सतही गहरा कटा घाव ।
5. बाईं टांग के ऊपरी हिस्से पर गहरा कटा घाव लंबवत रूप से आकार 1.5 x 1 सेमी x मांसपेशी पर गहरा स्पष्ट कटा हुआ गहराई तक |
6. बाएं घुटने में गहरा कटा घाव 5 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी तक गहरा स्पष्ट कटा हुआ गहराई तक |
7. बाईं बाजू के अगले हिस्से पर गोल कोहनी पर गहरा कटा घाव 1 सेमी x 1 सेमी का स्पष्ट कटा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ |
8. बाईं बाँह के अगले हिस्से में कटा घाव जो कि कोहनी के जोड़ से 6 सेमी नीचे है तथा आकार में 2.5 x 1 x हड्डी तक गहरा है स्पष्ट

कटा खुला हुआ तथा कटने के निशान जो कि कोहनी की हड्डी तक मौजूद है |

9. 1.5 सेमी. x 1 सेमी. x मांसपेशी तक गहरा अन्तःप्रकोष्ठ क्षेत्र से 5 सेमी. नीचे बाईं बाँह के अगले हिस्से पर सामने की ओर कटा घाव जो त्वचा के नीचे मांसपेशी और ऊतक के अंदर की ओर से साफ़ कटे होने को स्पष्ट दर्शाता है |

10. छाती के निचले हिस्से में 10 सेमी. नीचे पेट के दाहिने हिस्से में बगल के आस-पास कटा घाव जो मांसपेशी में 3 सेमी x 1 सेमी तिरछा गहरा है, स्पष्ट कटा हुआ, जो पेट में अन्दर तक भेदा हुआ नहीं है|

11. छाती की दाहिनी ओर सामने की तरफ घोंपने का घाव जो तिर्यक रूप में कक्षीय सतह तक गया है, जिसका आकार 3.5 सेमी x 1 सेमी. है तथा जो हंसली के 22 सेमी नीचे स्पष्ट कटा हुआ खुला है और बाहर की ओर 7वीं पसली से गुजरता हुआ फेफड़े के निचले बाएं भाग से होते हुए हृदय के बाहरी सतह के पार हृदय की बाह्य रक्त सतह तक गया है | तथा हृदय के निचले भाग के बाएं कोष में 2 सेमी. x 1.5 सेमी. x हृदय के निचले भाग के कोष की गहराई तक हृदय के निचले भाग तक कटा घाव |

12. 4 सेमी. x 1 सेमी. आकार का त्वचा तक गहरा घोंपने का घाव जो चोट सं. 11 से 8 सेमी. नीचे तिर्यक है |

13. चोट सं. 12 से 1.5 सेमी. नीचे और 2 सेमी. पीछे 1 सेमी. x 1 सेमी. का अन्दर की ओर से स्पष्ट कटा घाव |

14. पेट में बाईं तरफ घोंपने का घाव जो कि पार्श्व अक्षीय रेखा की तरफ हंसली से 25 सेमी. नीचे की ओर 4 सेमी. x 1 सेमी. आकार का है जोकि छोटी एवं बड़ी आँत में कई घाव करते हुए पेट में अन्दर तक गया है |

15. पेट में बाईं तरफ 4 सेमी. x 1.5 सेमी. का कटा घाव जो चोट सं. 14 से 6 सेमी. नीचे एवं 2 सेमी. मध्य की ओर है |

मृतक के आंतरिक परीक्षण से ज्ञात हुआ :-

बाईं तरफ छाती और फेफड़ों के बीच लगभग 500cc खून जमा हुआ पाया गया | बाएं फेफड़े के निचले हिस्से में 3 सेमी. x 1.5 सेमी. x 4 सेमी. का घोंपने का घाव था | हृदय के पास 400cc

जमा हुआ खून तथा खून के थक्के पाए गए | हृदय के निचले हिस्से में 2.5 सेमी. x 1 सेमी. x हृदय के बाएं कोष की दीवार की पूर्ण गहराई तक कंडरा रज्जु (CORDAE TENDENAE) काटते हुए घोंपने का घाव | पेट के अंदर लगभग 400cc तक रक्तस्राव व खून के थक्के के साथ छोटी एवं बड़ी आँत में कई कटे घाव पाए गए |

ऐसी राय व्यक्त की गई कि मृत्यु से पूर्व तेज़ धार वाले हथियार से पहुंचाई गई चोटों के परिणामस्वरूप उन्हें धक्का पहुंचा जो उनकी मृत्यु का कारण बना |

चोट सं. 11 एवं 14 सामान्य तौर पर व्यक्तिगत तथा समग्र रूप से मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त हैं |

27. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार तीन हमलावरों द्वारा कुल 15 चोटें पहुंचाई गई जिनके पास, दो हॉकी और एक चाकू था। परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 ने ज़ोर देकर कहा कि पूरी घटना मुश्किल से पांच मिनट तक चली। तीन हमलावरों द्वारा एक साथ 5 मिनट की छोटी अवधि के भीतर मृतक पर हमला करते हुए इस प्रकार की 15 चोटें पहुँचाना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा, खासकर तब जब पीड़ित सामान्य तथा स्वस्थ व्यक्ति था जिसने स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध भी किया होगा। तीन आरोपी व्यक्तियों द्वारा मृतक को 15 चोटें पहुँचाने में काफ़ी समय लगा होगा| इससे खुद पता चलता है कि तीन अभियुक्तों के पास अपराध कारित करने के लिए पर्याप्त समय था और पूरी घटना पांच मिनट के भीतर नहीं हो सकती थी, जैसा कि चश्मदीद गवाह परमिंदर सिंह अभि.सा.-1 ने बताया था। यह तथ्य इस तथ्य के साथ भी जुड़ा है

कि मृतक के दो भाई एक मूक दर्शक बने रहे, जब तीसरे भाई के साथ मारपीट की जा रही थी, इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि अभि.सा.-1 परमिंदर सिंह मौके पर मौजूद नहीं था और घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था।

28. डॉ. एम.एस. सागर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है कि मौत का कारण मृत्यु से पूर्व तेज धार वाले हथियार से पहुँचाई गई कई चोटों के कारण सदमा पहुँचना था और चोट संख्या 11 और 14 व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्राकृतिक ढंग से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि चोटें तेज धार वाले हथियार से पहुँचाई गईं और चूंकि उन्हें कोई हथियार नहीं दिखाया गया था, इसलिए उन्होंने कोई राय नहीं दी है। स्वीकृत रूप से, आरोपी अपीलकर्ता इंद्रजीत सिंह के इंकशाफी बयान पर बरामद किए गए चाकू की नोक टूटी हुई थी और यह नुकीला नहीं बल्कि कुंद था। क्या मृतक के शरीर पर पाए गए घोंपने व काटने के घाव टूटी हुई नोक वाले चाकू के हो सकते हैं, हमारी राय में यह बेहद संदिग्ध है। यह जानने के लिए डॉक्टर की राय नहीं ली गई है कि क्या इस तरह की चोटें टूटी हुई नोक वाले चाकू से पहुँचाई जा सकती हैं या नहीं ।

29. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह मामला जांच अधिकारी की ओर से गंभीर चूक थी। हालांकि, आम तौर पर जांच अधिकारी की ओर से मामूली चूक, अगर अन्यथा विश्वसनीय हो, तो चश्मदीद गवाह की बात को स्वीकार करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में जहां एकमात्र चश्मदीद गवाह का आचरण अप्राकृतिक है और विभिन्न अन्य सम्बंधित परिस्थितियां भी हैं जो घटना-स्थल पर उसकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाती हैं, जांच अधिकारी की ओर से इस तरह की चूक का बहुत महत्व है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

30. ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सीय गवाह की राय प्राप्त करने के महत्व पर ज़ोर देते हुए इस न्यायालय ने ***कार्तरेय व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य*** मामले में निम्न रूप से अपनी राय दी है:-

> "हम इस अवसर पर चिकित्सीय गवाह की राय जानने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसने पीड़ित की चोटों की जांच की थी, ख़ास तौर पर इस बिंदु पर, ऐसे मामले में विशेषतः उचित न्याय प्रदान करने के लिए जहां पाई गई चोटें वैज्ञानिक रूप से एक जैसी हैं, उदाहरण- छुरे का घाव, और न्यायालय के समक्ष समस्या यह है कि क्या ये सभी या इनमें से कोई भी चोट एक या एक से अधिक हथियार के कारण हो सकती हैं । अभियोजन का यह कर्तव्य है, और समान रूप से न्यायालय का भी, कि यह ध्यान रखा जाए कि अपराध का कथित हथियार, यदि उपलब्ध है, तो चिकित्सीय गवाह को दिखाया जाए और उसकी राय ली जाए कि क्या पीड़ित पर कारित सभी या

कोई चोट उस हथियार से पहुँचाई गई है। ऐसा न होने पर कभी-कभी, न्याय प्रदान करने में गलती भी हो सकती है।"

31. ***ईश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** में इस न्यायालय द्वारा पुन: इसे निम्न प्रकार से देखा गया है:-

> "अभियोजन का यह कर्तव्य है, और पूरी तरह न्यायालय का भी कि वह देखे कि अपराध का कथित हथियार, यदि उपलब्ध है, तो चिकित्सीय गवाह को दिखाया जाए और उसकी राय ली जाए कि क्या पीड़ित पर सभी या कोई भी चोट उस हथियार से कारित की जा सकती है। कभी-कभी ऐसा न होने पर न्याय प्रदान करने में गलती भी हो सकती है| अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, यह कहना मुश्किल है कि, मृतक की चोट ज़ब्त किए गए टूटी हुई नोक वाले चाकू से कारित हुई थी। ये विविधताएँ अभियोजन मामले के महत्वपूर्ण हिस्सों से संबंधित हैं, और इन्हें मामूली विसंगतियों के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में, जैसा इस न्यायालय द्वारा "***मित्तर सेन और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य***" में माना गया कि चश्मदीद गवाह को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता है|"

32. अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि अभि.सा.-1 की मौखिक गवाही पर टिकी हुई है जिसे मृतक की हत्या के चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था। दोनों विद्वान सत्र न्यायाधीश, साथ ही उच्च न्यायालय ने अभि.सा.-1 पर भरोसा जताया है और सामान्यतः यह न्यायालय निम्न अदालत के मत को नकारने में इच्छुक नहीं होती है लेकिन चूँकि अभियोजन की कहानी में निहित अनुचितताएं हैं और चश्मदीद गवाह का आचरण प्राकृतिक व्यवहार से असंगत है, हमें नहीं लगता कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर,

जिसकी पुष्टि भी न हुई हो, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना सुरक्षित होगा। ***"सेल्वाराज बनाम तमिलनाडु राज्य"*** मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी ऐसा ही विचार किया गया है। जहां साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, अभियोजन की कहानी को सामान्य मानवीय प्रकृति के अत्यंत विपरीत और असंगत पाया गया था, जिसके परिणामतः दो निचली अदालतों द्वारा दर्ज अपराध सिद्धि को खारिज कर दिया गया था।

33. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष कथित अपराधों को विश्वसनीय व पुख्ता सबूत पेश करके संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है।

34. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनज़र, हम कथित अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए निम्न न्यायालयों द्वारा दिए गए कारण को पर्याप्त नहीं मान पा रहे हैं। इसके विपरीत, हमारा यह सम्मत विचार है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की अपराध सिद्धि को संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। यह घटना उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरह से अभियोजन पक्ष चाहता है कि न्यायालय उस पर विश्वास करे कि ऐसा हुआ था।

35. चूंकि, अभियोजन पक्ष संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है, इसलिए अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, हम निम्न न्यायालयों द्वारा दिए गए आक्षेपित आदेशों को खारिज करते हैं और इन अपीलों को अनुमति प्रदान करते हैं। अपीलकर्ताओं को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

.....(न्यायाधीश)
(संजय किशन कॉल)

.....(न्यायाधीश)
(अनिरुद्ध बोस)

.....(न्यायाधीश)
(कृष्ण मुरारी)

नई दिल्ली,
12 अक्टूबर, 2020

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु *किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*